भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
सत्यमेव जयते
प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 108 / 2016 / एफ.सी. /431 दिनॉक:

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
छठवां तल, बापू भवन, लखनऊ

विषयः जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मैनोरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ –: क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक– 05.01.2017 की कार्रवाई (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 09.12.2016 द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के पत्रांक– 1383 / 11सी–FP/UP/Road/20685/2016, Dt. 03-01-2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सूचना अभी भी अधूरी प्रस्तुत की गयी है।

1. इस कार्यालय द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना में बिन्दु संख्या–11(सी) के अनुसार संशोधन नही किया गया है, अनुपालन आख्या में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अभी भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण में यह उल्लिखित किया गया है कि आवश्यकता पड़नें पर अतिरिक्त धनराशि की मांग बाद में की जा सकती है, अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राकल्लन अभी भी सुनिश्चित नही किया गया है।

2. बिन्दु संख्या 11(C) के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थल के बारें में अभी भी सूचित नही किया गया है।

3. दिनांक–05.01.2017 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रस्ताव को चाही गयी सूचनाओं के अभाव में एवं आर्नलाईन अपडेट न होने के कारण, चाही गयी सूचना के परिक्षणोपरान्त संतोषजनक प्राप्त होने पर अगली क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है

क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक– 05.01.2017 की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

18/1/17